आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रस्तावित पत्रांक एवं दिनांक
01.05.2019	पत्रावली प्रार्थी के पार्थना–पत्र पर पेश हुई। प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया कि प्रकरण से सम्बन्धित अपील में बहस पूर्ण हो चुकी है। अतः इस पत्रावली को पेशी में ली जाकर अपील के साथ निर्णित की जावे। बहस सुनी गई बहस में उन्होंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर ही निर्णय करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपील सं0 121/2016 सन्तलाल बनाम हेमन्त में दिनांक 13.06.2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 प्रकरण संख्या 92/2015 की यदि राजस्व रिकार्ड में क्रियान्विति नही हुई है तो राजस्व रिकार्ड की क्रियान्विति आगामी तारीख पेशी तक स्थगित की गई तथा वादग्रस्त आराजी को आगामी तारीख पेशी तक रहन बैय आदि द्वारा अन्तरित नहीं करने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद दिनांक 16.06.2016 को राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया है। रेस्पोडेन्ट उक्त नामान्तरण की आड़ में प्रार्थी को उसके हक, हिस्सा, कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौका पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। अतःप्रार्थना–पत्र स्वीकार कर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना में अप्रार्थीगण को दण्डित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति अप्रार्थी को दिनांक 22.06.2016 को प्राप्त हुई थी। जिसका नोट अंकित कर दिया गया था। दिनांक 13.06.2016 के आदेश की जानकारी अप्रार्थी को नहीं थी। राजस्व रिकार्ड में अंकन उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अनुसरण में किया गया था। प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा जानबूझकर नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 13.06.2016 को अपील पेश की गई थी जिसमें स्थगन आदेश पारित किया गया थां। प्रार्थी का कथन है कि दिनांक 22.06.2016 को स्थगन के बावजूद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थी को दे दी गई हो। जवाब मे तामील नहीं होना अंकित किया है। जिसके विरूद्ध कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है। इसके अतिरिक्त मूल अपील संख्या 121/20016 सन्तराम बनाम हेमन्त कुमार का निर्णय दिनांक 29.04.2019 को हो चुका है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आदेश 39 नियम 2 (ए) खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णित शुमार नम्बर से कम कर दाखिल दफ़्तर हो।	

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी